

—::— छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन —::—

प्रधान—कार्यालय, एन-3, अंवति विहार, रायपुर

विज्ञापन खण्ड — अ

छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की छ.ग. राज्य में संचालित विभिन्न शाखाओं पर तकनीकी सहायक (Tech.Astt.) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से आवदेन पत्र छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर की वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – **04.03.2015**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – **22.03.2015**, रात्रि **11.59**

ऑफलाइन (ICICI, SBI Bank के चालान द्वारा) पेमेन्ट – **23.03.2015** को बैंक के कार्यालयीन समय तक

परीक्षा तिथि – तकनीकी सहायक – **12.04.2015** पूर्वान्ह 9.00 से 12.15

परीक्षा शहर एवं कोड – अम्बिकापुर (11), बिलासपुर (13),

दुर्ग (16), जगदलपुर (17) एवं रायपुर (25)

परीक्षा भुल्क – सामान्य वर्ग – **450/-**

अन्य पिछड़ा वर्ग – **350/-**

अनुसूचित जाति / जनजाति / निःशक्तजन – **300/-**

कुल रिक्त पदों की संख्या 43 –

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या				
			अनारक्षित	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	कुल
01	तकनीकी सहायक (बैंकलॉग रिक्तियाँ)	5200–20200 ग्रेड पे 2800	मुक्त	01	-	-	01
			महिला	02	-	-	02
			निःशक्तजन	01	01	01	03
			भूपूर्व सैनिक	-	-	-	-
			कुल	04	01	01	06
02	तकनीकी सहायक (वर्तमान रिक्त पद)		मुक्त	10	03	06	23
			महिला	04	01	03	09
			निःशक्तजन	01	-	02	03
			भूपूर्व सैनिक	01	-	01	02
			कुल	16	04	12	05
			महायोग				43

भर्ती के समय पदों की संख्या में कमी / वृद्धि हो सकती है।

पद में निहित कार्यों के अनुरूप निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद में केवल श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित निःशक्तजन ही पात्र होगे।

टीप :- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय—समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉफी/सॉफ्ट कॉफी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। परीक्षा के दिन उत्तरशीट में (**Answer Sheet**) में श्रेणी (**Category**), वर्ग (**Class**), जन्म तिथि (**Date Of Birth**) आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्प्ल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।

02. शैक्षणिक योग्यता :-

Degree (BSc) in Agriculture or degree (BSc) with Zoology/ Chemistry/ Entomology as one of the subjects. From any recognized University.

03. आयु सीमा :- दिनांक 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष पूर्ण कर लो हो, किन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो।

04. उच्चतम आयु सीमा में छूट-

छ0ग0 शासन द्वारा जारी आदेश/नियमों के तहत।

05. आरक्षण —

छ0ग0 शासन के वर्तमान में प्रचलित नियमों/आदेशों के अनुसार।

(माननीय उच्च न्यायालय/छ0ग0 शासन द्वारा संशोधित नियम/आदेश लागू होंगे।)

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है।

06. अन्य अर्हताएँ —

I आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

II उपरोक्त पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों पर इस निगम में वर्तमान में प्रचलित नियमों/उपनियमों तथा भविष्य में समय—समय पर संशोधित/परिवर्तित नियम/उपनियम लागू होंगे।

III चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण—पत्रों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करना होगी एवं मिलान हेतु, मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

IV चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद एवं आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

V यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, नियुक्ति शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

VI यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छ0ग0 राज्य के किसी भी जिले/तहसील/ब्लॉक स्तर पर निगम के गोदामों में पदस्थ किया जावेगा।

- VII चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जावेगी। नियुक्ति के बाद पद भार ग्रहण करते समय कम से कम दो वर्ष निगम की सेवा में बने रहने हेतु निर्धारित राशि रूपये 25,000/- का बॉण्ड भरना होगा।
- VIII जन्मतिथि प्रमाण—पत्र के लिये हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण—पत्र चयनित होकर पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- IX हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा बी0एस-सी0 एवं अन्य उच्चतर परीक्षाओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
- X . **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र** – ४०ग० शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक/विभिन्न निगम, मण्डल/राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके उपक्रम अथवा राष्ट्रीयकृत/अंतराष्ट्रीय बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे व्यापम को भेज सकते हैं, परन्तु उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- XI **अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी** – आवेदक विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर सावधानीपूर्वक सही/पूर्ण जानकारी देवें। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आवेदक को बिना किसी पूर्व सूचना के चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।
- XII चयन के लिये प्रबंध संचालक, ४०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

07. नियुक्ति हेतु चयन विधि –

- रिक्त पदों पर चयन हेतु ४०ग० व्यावसायिक परीक्षा मण्डल स्वत्रंत लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) व्यापम द्वारा विभाग को सौंपी जावेगी। विभाग द्वारा चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम ०१ वर्ष के लिये वैद्य होगी। ०१ वर्ष की अवधि में उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों से की जा सकेगी।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यार्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

08. परीक्षा पद्धति –

अभ्यार्थियों को व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। परीक्षा में १५० प्रश्नों का एवं १५० अंकों का एक प्रश्न—पत्र होगा जो कि दो खण्डों में विभाजित होगा। खण्ड “अ” एवं खण्ड “ब”।

खण्ड “अ” – कुल प्रश्न ५०, कुल अंक ५०

- | | | | |
|------|--|---|--------|
| I. | सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान | – | 20 अंक |
| II. | सामान्य हिन्दी (कक्षा १२वीं स्तर तक) | – | 10 अंक |
| III. | सामान्य गणित (कक्षा १०वीं स्तर तक) | – | 10 अंक |
| IV. | सामान्य अंग्रेजी (कक्षा १०वीं स्तर तक) | – | 10 अंक |

खण्ड “ब” – कुल प्रश्न 100, कुल अंक 100

- I. कृषि विज्ञान, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र से संबंधित स्नातक स्तर के कुल 100 प्रश्न, 100 अंक के होंगे।
- II. सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न के चार विकल्प होंगे जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। सही विकल्प को चुनकर OMR शीट पर अंकित किये जावेंगे।

पाठ्यक्रम :— पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध होगा।

मूल्यांकन पद्धति :— इस परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिये जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होने के कारण प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर $1/4$ अंक काट लिया जायेगा।

टीप :-

आवेदक को तकनीकी सहायक पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर व्यापम की लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा, परन्तु नियुक्ति तभी की जावेगी जब विज्ञापन की शर्तों एवं विभागीय नियमों के आधार पर पात्र होंगे।

अतः आवेदक आवदन करने के पहले अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कर्तव्य नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र/परीक्षा/परीक्षाफल निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

प्रबंध संचालक

छ0ग0 र्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

रायपुर

—::— छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

प्रधान—कार्यालय, एन-३, अंवति विहार, रायपुर—

दूरभाष :— 0771—4242501, 4242502, 4242503,

फैक्स :0771—4242555

Email:mdcgswc@gmail.com

—:: निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के संबंध में प्रमाण पत्र ::—

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग पत्र भेजते समय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या 01 के रोस्टर बिन्दु संख्या 01, 17 एंवं 34 पर आती हैं और उनमें से 03 रिक्तियां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

(मो० आगा हुसैन)
नोडल अधिकारी